


GOVT. OF INDIA RNI NO.: UPBIL/2015/62096

UGC Approved Care Listed Journal

ISSN
2229-3620



शोध संचार बुलेटिन

An International
Multidisciplinary
Quarterly Bilingual
Peer Reviewed
Refereed
Research Journal

Vol. 11

Issue 41

January to March 2021

Editor in Chief

Dr. Vinay Kumar Sharma

D. Litt. - Gold Medalist



sanchar
Educational & Research Foundation

माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की वैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन

डॉ० प्रदीप कुमार तिवारी*
सोमेश शर्मा**

शोध सारांश

संवैधानिक अधिकारों की पहली मांग 1895 में "भारत का संविधान विधेयक" के रूप में आई। इसे स्वराज विधेयक 1895 के रूप में जाना जाता है, यह भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और स्वशासन के लिए भारतीयों द्वारा तेजी से मुखर मांगों के दौरान लिखा गया था। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार, मताधिकार के अधिकार आदि के बारे में बात की गई। भारत में इस तरह के वैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक मानवाधिकारों का विकास ऐतिहासिक उदाहरणों जैसे इंग्लैंड बिल ऑफ राइट्स (1689), यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स (17 सितंबर 1787 को अनुमोदित, 15 दिसंबर 1791 को अंतिम अनुसमर्थन) और फ्रांस की घोषणा के तहत था। मनुष्य के अधिकार (1789 की क्रांति के दौरान बनाए गए, और 26 अगस्त 1789 को इसकी पुष्टि की गई)। 1919 में, रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को व्यापक अधिकार दिए और व्यक्तियों की अनिश्चितकालीन गिरफ्तारी और हिरासत, वारंट रहित तलाशी और हत्या, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध और मीडिया और प्रकाशनों की गहन सेंसरशिप की अनुमति दी। इस अधिनियम के सार्वजनिक विरोध ने अंततः पूरे देश में अहिंसक सविनय अवज्ञा के बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, जिसमें गारंटीकृत नागरिक स्वतंत्रता और सरकारी शक्ति की सीमाओं की मांग की गई थी। भारतीय, जो स्वतंत्रता और अपनी सरकार की मांग कर रहे थे, विशेष रूप से आयरलैंड की स्वतंत्रता और आयरिश संविधान के विकास से प्रभावित थे। इसके अलावा, आयरिश संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अभाव में भारत के लोगों द्वारा एक विशाल, विविध राष्ट्र और आबादी में जटिल सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से व्यापक रूप से निपटने के लिए स्वतंत्र भारत की सरकार के लिए एक प्रेरणा के रूप में देखा गया था। प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित परिकल्पनायें प्रस्तुत की गई हैं— निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किये हैं—माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता में क्षेत्रीय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता में संकाय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता में विद्यालय की स्थिति के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

Keywords: 1. माध्यमिक स्तर, 2. बालिकाएं, 3. संवैधानिक अधिकार

प्रस्तावना—

भारत में मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) के तहत गारंटीकृत अधिकार हैं। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त छह मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35)(1) हैं समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19-22), शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24), धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28), सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30) और संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32 और 226)।

जबकि संविधान कुछ अन्य अधिकार भी प्रदान करता है, जो कि संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार नहीं हैं।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। अधिकारों की उत्पत्ति कई स्रोतों में हुई है जिनमें इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स और फ्रांस के डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन के महिलाओं के अधिकार शामिल हैं।

भारतीयों के मौलिक अधिकारों का उद्देश्य परंपरिक प्रथाओं की असमानताओं को दूर करना भी है। विशेष रूप से उनका उपयोग अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए किया गया है और इस प्रकार धर्म, जाति, जाति, लिंग या जनजाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है। उन्होंने मानव लक्ष्यों को

श्रम (एक अपराध) की भी मनाही की है। वे धार्मिक विधानों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। सरदार वल्लभभाई पटेल को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के मुख्य वास्तुकार के रूप में माना जाता है।

मौलिक अधिकारों की पहली मांग 1895 में "भारत का संविधान विधेयक" के रूप में आई। इसे स्वराज विधेयक 1895 के रूप में भी जाना जाता है, यह भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और आसन्न के लिए भारतीयों द्वारा तेजी से मुखर मांगों के दौरान प्रस्तावित किया गया था। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार, मताधिकार के अधिकार आदि के बारे में बात की गई। इसमें इस तरह के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का विकास ऐतिहासिक उदाहरणों जैसे इंग्लैंड का बिल ऑफ राइट्स (1689), यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स (1787) को अनुमोदित, 15 दिसंबर 1791 को अंतिम संस्करण (मसौदा) और फ्रांस की घोषणा से प्रेरित था। मनुष्य के अधिकार (1789 की क्रांति के दौरान बनाए गए, और 26 अगस्त 1789 को इसकी पुष्टि की गई)। 1919 में, रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को व्यापक अधिकार दिए और व्यक्तियों की निरीक्षणकालीन गिरफ्तारी और हिरासत, वारंट रहित तलाशी जांच, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध और मीडिया और संचारों की गहन सेंसरशिप की अनुमति दी। इस अधिनियम के अंतर्गत विरोध ने अंततः पूरे देश में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन के पैमाने पर अभियान चलाया, जिसमें गारंटीकृत नागरिक स्वतंत्रता और सरकारी शक्ति की सीमाओं की मांग की गई थी। भारतीय, जो स्वतंत्रता और अपनी सरकार की मांग कर रहे थे, इस रूप से आयरलैंड की स्वतंत्रता और आयरिश संविधान के प्रभाव से प्रभावित थे।

इसके अलावा, आयरिश संविधान में राज्य नीति के सिद्धांतों को भारत के लोगों द्वारा एक विशाल, विविध और आबादी में जटिल सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए स्वतंत्र भारत की सरकार के लिए प्रेरणा के रूप में देखा गया था।

1928 में, भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक समिति ने नेहरू आयोग ने भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा, जो भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति और मौलिक मताधिकार के तहत चुनावों के अलावा, मौलिक समझे जाने वाले अधिकारों, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों की गारंटी देगा, और शक्तियों को सीमित करेगा। 1931 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (उस समय की सबसे बड़ी भारतीय राजनीतिक पार्टी) ने मौलिक नागरिक अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी और अस्पृश्यता

और दासता के उन्मूलन जैसे सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पों को अपनाया। 1936 में खुद को समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध करते हुए, कांग्रेस नेताओं ने सोवियत संघ के संविधान से उदाहरण लिया, जिसने राष्ट्रीय हितों और चुनौतियों के लिए सामूहिक देशभक्ति की जिम्मेदारी के रूप में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को प्रेरित किया।

राष्ट्र के लिए एक संविधान विकसित करने का कार्य भारत की संविधान सभा द्वारा किया गया था, जो गैर-निर्वाचित प्रतिनिधियों से बना था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में हुई थी। बाद में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। जबकि कांग्रेस के सदस्यों ने विधानसभा के एक बड़े बहुमत का गठन किया, कांग्रेस नेताओं ने विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को संविधान और राष्ट्रीय कानूनों के विकास के लिए जिम्मेदारी के पदों पर नियुक्त किया। विशेष रूप से, भीमराव रामजी अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष बने, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल विभिन्न विषयों के लिए जिम्मेदार समितियों और उप-समितियों के अध्यक्ष बने। उस अवधि के दौरान भारतीय संविधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक उल्लेखनीय विकास 10 दिसंबर 1948 को हुआ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया और सभी सदस्य राज्यों से अपने-अपने संविधान में इन अधिकारों को अपनाने का आह्वान किया।

मसौदा समिति द्वारा तैयार किए गए पहले मसौदा संविधान (फरवरी 1948), दूसरा मसौदा संविधान (17 अक्टूबर 1948) और अंतिम तीसरा मसौदा संविधान (26 नवंबर 1949) में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। मौलिक अधिकारों को संविधान में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक माना जाता था।

संविधान के लेखकों ने लोकतंत्र को कोई फायदा नहीं माना अगर नागरिक स्वतंत्रता, जैसे कि भाषण और धर्म की स्वतंत्रता, को राज्य द्वारा मान्यता और संरक्षित नहीं किया गया था।

उनके अनुसार, लोकतंत्र, संक्षेप में, राय से एक सरकार है और इसलिए, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लोगों के लिए जनमत तैयार करने का साधन सुरक्षित होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विभिन्न अन्य स्वतंत्रताओं की गारंटी दी।

जाति, धर्म, जाति या लिंग के बावजूद सभी लोगों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में याचिका दायर करने का

अधिकार दिया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष ही ऐसा करने वाला हो। गरीबी से पीड़ित लोगों के पास ऐसा करने के लिए साधन नहीं हो सकते हैं और इसलिए, जनहित में, कोई भी उनकी ओर से अदालत में मुकदमा शुरू कर सकता है। इसे "जनहित याचिका" के रूप में जाना जाता है। कुछ मामलों में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर अपने दम पर कार्रवाई की है।

ये मौलिक अधिकार न केवल सुरक्षा में मदद करते हैं बल्कि मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन की रोकथाम में भी मदद करते हैं। वे पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को समान सुविधाओं तक पहुंच और उपयोग की गारंटी देकर भारत की मौलिक एकता पर जोर देते हैं। कुछ मौलिक अधिकार किसी भी राष्ट्रियता के व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं जबकि अन्य केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सभी लोगों के लिए उपलब्ध है और इसी तरह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। दूसरी ओर, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता अनिवासी भारतीय नागरिकों सहित अकेले नागरिकों के लिए आरक्षित है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता का अधिकार भारत के विदेशी नागरिकों को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

2. आवश्यकता एवं महत्व –

मौलिक अधिकार प्राथमिक रूप से व्यक्तियों को किसी भी मनमानी राज्य की कार्रवाई से बचाते हैं, लेकिन कुछ अधिकार व्यक्तियों के खिलाफ लागू करने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए, संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है और बेगार को भी प्रतिबंधित करता है। ये प्रावधान राज्य की कार्रवाई के साथ-साथ निजी व्यक्तियों की कार्रवाई दोनों पर एक रोक के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि, ये अधिकार पूर्ण या अनियंत्रित नहीं हैं और सामान्य कल्याण की सुरक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं। उन्हें चुनिंदा रूप से भी कम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है।

चूंकि मौलिक अधिकारों को केवल एक संवैधानिक संशोधन द्वारा ही बदला जा सकता है, उनका समावेश न केवल कार्यकारी शाखा पर बल्कि संसद और राज्य सभा पर भी रोक है। किसी भी प्राणी के लिए उसके जीवन में स्वतंत्रता का होना बहुत आवश्यक है। अगर यह कहा जाये कि मानव के लिए सबसे प्रिय स्वतंत्रता होती है तो कुछ गलत नहीं होगा। किसी भी देश के निवासियों की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है उस देश का लोकतन्त्र प्रणाली को अपनाना क्योंकि लोकतंत्र ही मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। स्वतंत्रता का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से

मौलिक अधिकारों अथवा संवैधानिक अधिकारों से होता है मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकारों का होना बहुत जरूरी होता है यह मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं तथा इसमें परिवर्तन की संभावना भी रहती हैं परन्तु इसमें राज्यों द्वारा हस्ताक्षेप संभव नहीं है। अगर बालिकाओं को प्रारम्भ से ही मौलिक अधिकारों की जानकारी दी जायेगी तो बालिकाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ-साथ उनका सर्वांगीण विकास भी होगा। प्रस्तुत शोध के माध्यम से ऊधम सिंह नगर के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं की मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता को जानने का प्रयास किया जायेगा।

3. समस्या कथन— "माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन"

4. शोध विधि :- वर्तमान शोध हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

उपकरण :- प्रस्तुत शोध हेतु स्वयंनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

5. न्यादर्श :- प्रस्तुत शोध हेतु माध्यमिक स्तर के 100 बालिकाओं का चयन किया गया है।

6. शोध के उद्देश्य –

- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता का क्षेत्रीय आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।
- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता का संकाय आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।
- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता का विद्यालय की स्थिति के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।

7. शोध की मुख्य परिकल्पनाएं –

- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता में क्षेत्रीय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।
- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता में संकाय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।
- माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता में विद्यालय की स्थिति के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।

परिकल्पनाओं का विश्लेषण एवं व्याख्या

परिकल्पना क्रमांक 1-

माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानवविचलन, व टी0 मूल्य का विश्लेषण एवं व्याख्या सारणी संख्या-1

छात्राएं	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतन्त्रांश संख्या	सी.आर.
ग्रामीण	50	39.12	5.18	98	1.78
शहरी	50	40.25	4.98		

तालिका संख्या 4.1 में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता को दर्शाया गया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली छात्राओं का मध्यमान व मानक विचलन 39.12 (5.18) प्राप्त हुआ

है जबकि शहरी क्षेत्र में रहने वाली छात्राओं का मध्यमान व मानक विचलन 40.25 (4.98) प्राप्त हुआ है। प्राप्त क्रांतिक मान सार्थकता के दोनों स्तरों से कम है जो दोनों समूहों के मध्य अन्तर को स्पष्ट नहीं करता है।

परिकल्पना क्रमांक 2-

माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानव विचलन, व टी0 मूल्य का विश्लेषण एवं व्याख्या सारणी संख्या-2

छात्राएं	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतन्त्रांश संख्या	सी.आर.
कला	50	40.39	4.80	98	1.76
विज्ञान	50	42.80	3.99		

तालिका संख्या 4.2 में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता को दर्शाया गया है जिसमें कला वर्ग की छात्राओं का

मध्यमान व मानक विचलन 40.39 (4.80) प्राप्त हुआ है जबकि विज्ञान वर्ग की छात्राओं का मध्यमान व मानक विचलन 42.80 (3.99) प्राप्त हुआ है। प्राप्त क्रांतिक मान सार्थकता के दोनों स्तरों से कम है जो दोनों समूहों के मध्य अन्तर को स्पष्ट नहीं करता है।

परिकल्पना क्रमांक 3-

माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता का मध्यमान, मानव विचलन, व टी0 मूल्य का विश्लेषण एवं व्याख्या सारणी संख्या-3

छात्राएं	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतन्त्रांश संख्या	सी.आर.
सरकारी विद्यालय	50	42.52	7.65	98	0.80
गैर सरकारी विद्यालय	50	46.66	6.25		

तालिका संख्या 4.3 में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता को दर्शाया गया है जिसमें सरकारी विद्यालयों में

अध्ययनरत् छात्राओं का मध्यमान व मानक विचलन 42.52 (7.65) प्राप्त हुआ है जबकि गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्राओं का मध्यमान व मानक विचलन 46.66 (6.25) प्राप्त हुआ है। प्राप्त क्रांतिक मान सार्थकता के दोनों स्तरों से कम है जो

दोनों समूहों के मध्य अन्तर को स्पष्ट नहीं करता है।

शोध के निष्कर्ष :-

माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता में क्षेत्रीय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता में संकाय आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता में विद्यालय की स्थिति के आधार पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

न्दर्भ :-

लाल, रमन बिहारी (2004) - शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त रस्तौगी पब्लिकेशन, मेरठ।

2. पाठक, पी0 डी0 (2006-07) - भारतीय शिक्षा और समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
3. पाण्डेय, के0 पी0, (2003) - शैक्षिक अनुसंधान की रूपरेखा, अमित प्रकाशन, मेरठ।
4. सिंह, अरुण कुमार (2006) - मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।
5. तरुण हरिवंश (2000) - भारतीय शिक्षा तथा विश्व की शिक्षा प्रणालियाँ, नई दिल्ली।
6. ढौंड़ियाल, एस0 एन0 एवं पाठक, ए0 वी0 (2003) - शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
7. गैरिट, हैनरी ई0 एवं बुडवर्थ आर0 (2007) - शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकीय के सांख्यिकीय प्रयोग, कल्याणी पब्लिशर्स लुधियाना पेज - 247।

